कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर

(जिला न्यायालय परिसर)

Email-Id :- legalaid24913@gmail.com

Phone:- 0144-2702029

दिनांकः– 17/05/21

क्रमांकः– 2472

–: वाहन किराये पर लेने की सूचना :–

इस विभाग में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के लिए 01 महेन्द्रा बोलरो वाहन 07 सीटर वातानुकूलित किराये पर लिये जाने हेतु प्रतिष्ठित अनुभवी व्यक्ति वाहन स्वामी/टेकेदार/फर्म से संलग्न प्रारूप में शर्तो तथा शरायतो के अध्यधीन मोहरबन्द प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है।

पूर्णरूप से भरे हुए सीलबन्द प्रस्ताव दिनांक 20.05.2021 को प्रातः 10.00 बजे तक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के कार्यालय में जमा करवाये जा सकते है। निविदा उसी दिन खोली जायेगी। प्रस्ताव पत्र का प्रारूप व शर्ते एवं शरायते जिला न्यायालय अलवर की वेबसाइड ::districts.ecourts.gov.in/alwar पर देखी जा सकती है एवं डाउनलोड की जा सकती है तथा इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी देखी जा सकती है।

अध्यक्ष,
उपापन समिति
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
अलवर।

दिनांक :– 17/05/21

कमांक :– 2472–74

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01 श्रीमान सिस्टम ऑफिसर जिला एवं सेशन न्यायालय अलवर की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

02. नोठिस बोर्ड जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर ।

03 कार्यालय प्रति ।

अध्यक्ष,
उपापन समिति
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
अलवर।

शर्ते एवं शरायतें

1 प्रस्ताव किसी व्यक्ति स्वामी/फर्म/ट्रेवल एजेन्सी द्वारा दिये जा सकते है।

2. उपबन्ध करवाये जाने वाले वाहन टैक्सी (taxi) के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए ।

3. वाहन 06वर्ष से अधिक पुराना नही होगा । विशेष परिस्थिति में सक्ष स्वीकृति से उक्त अवधि को 02 वर्ष तक बढाया जा सकेगा।

04 वाहन मालिक का वाहन चालक स्वच्छ पोशाक में होगा एवं वाहन को साफ सुथरा रखेगा।

05 वाहन चालक वैध वाणिज्य वाहन चलाने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा पत्र धारक होना आवश्यक है।

06 वाहन मालिक को किराये पर उपलब्ध करवाये गए वाहन पर एक प्लेट यह उधत करते हुए कि वाहन राजकीय कर्तव्य पर है,उपलब्ध करवानी होगी।

07. वाहन को यथा समय कार्यालय परिसर मे ही खडा किया जाएगा । लेकिन जोखिम वाहन मालिक की होगी।

08. वाहन के प्रभारी अधिकारी द्वारा वाहन के कर्तव्य का समय निर्धारित किया जावेगा।

09. वाहन मालिक द्वारा किसी दिनांक को वाहन उपलब्ध नही करवाया जाता है तो शास्ति रू 2000/– दो हजार रूपये प्रतिदिन आरोपित की जावेगी तथा किराये पर अन्य वाहन लेने की स्थिति में यदि अतिरिक्त भुगतान किया जाता है तो अधिक भुगतान की वसूली की जावेगी।

10 वाहन की मरम्मत पेट्रोल/डीजल/आयल आदि व्यय वाहन स्वामी द्वारा वहन किया जावेगा।

11 प्रत्येक वाहन में जी.पी.एस का Installation अनिवार्य होगा तथा इसकी Monitoring राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा की जावेगी।

12. वाहन मालिक का वाहन का किराया वित्त विभाग के परिपत्रो यथासशाधित की शर्तो के अनुसार निम्न दरो पर किया जावेगा।
(1)2000 किमी के लिये 31350/–रूपये जी.एस.टी. अतिरिक्त यदि लागू है।
(11)प्रत्येक अतिरिक्त किमी की दर प्ररिपत्र के अनुसार ।

13. वित्त विभाग उक्त दरो में भविष्य में या अनुबंध अवधि में कोई संशाधित किया जाता है तो संशाधित दरों से भुगतान किया जायेगा।

14. उक्त भुगतान योग्य राशि के अतिरिक्त पथकर कर पुनर्भरण वाहन स्वामी को पथकर की रसीद प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।पथकर के अलावा समस्त कर वाहन स्वामी द्वारा वहन किये जायेगे।

15. सभी विधिक कटोतियां जैसे आयकर (टी.डी.एस.)सेवाकर इत्यादि भुगतान के समय लागू विधि/नियमो के अनुसार की जाकर भुगतान किया जायेगा।

16. सफल प्रस्तावक(वाहन प्रदाता) को 500/– के N0n-Judicial Stamp Paper पर अनुबंध का निष्पादन करना होगा।

17. चूकि यह निविदा निविदा प्रस्ताव नही है तथा वाहन किराये पर लिये जाने हेतु पैनल तैयार किया जाना है अतः प्रस्ताव के साथ प्राप्त हुए दस्तावेजो एवं कार्य अनुभव एवं अन्य बातों को मददेनजर

रखते हुए गुणावगुण के आधार पर वाहन किराये पर लिये जाने का अंतिम निर्णय विभागाध्यक्ष का होगा।

18. इच्छुक प्रस्तावक अपना प्रस्ताव संलग्न प्रारूप में भरकर नियत तिथि दिनांक 19.05.2021 तक निम्न दस्तावेजो के साथ प्राधिकरण के कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेगा।

(1) वाहन किराये पर लिये जाने की शर्तो जिसे स्वीकार करने के साक्ष्य स्वरूप प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर मय सील के करने होगे।

(11) किराये पर उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहनो का पजीयन प्रमाण पत्र, बीमा एवं पाल्यूशन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रस्तुत करनी होगी।

(111) वाहन चालक के नाम व उनके अनुज्ञा पत्रो की प्रमाणित प्रतिया।

(1V) पिछले 03 वर्षो का राजकीय कार्यालय/विभागों में वाहन किराये पर उपलब्ध करवाये जाने के प्रमाण स्वरूप दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतिया ।

(V) प्रस्तावक के जी.एस.टी. एवं पैन की प्रमाणित प्रतियां।

(V1) जी.एस.टी. का शोधन प्रमाण पत्र (Tax Clearance Certificate)

19. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र अलवर होगा।

20. सचिव,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के संबध में वाहन का फिजिकल निरीक्षण व दस्तावेजात (टैक्सी व फिटनेस व परिमिट,इश्योरेस वैध ड्राईविग लाइसेंस इत्यादि) की जांच के उपरान्त उपयुक्त वाहन का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर को प्रेषित किया जावेगा। एवं निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

21. अनुबंध के समय अन्य आवश्यक शर्ते शरायते जोडी जा सकेगी।

प्रस्तावक के हस्ताक्षर
मय पता व फोंन नम्बर